न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 98 / 2025(GCMS 2025/409)

(RTI No. 212611938628973)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री छगन लाल छाबड़ा निवासी बी–18 आनन्द विहार, वार्ड नम्बर 38, सूरतगढ़ (मोबाईल नम्बर 94145–04294)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी **(अतिरिक्त जिला कलैक्टर, सतर्कता श्रीगंगानगर)**

10.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी छगनलाल छाबड़ा एवं उनका प्रतिनिधि स्वयं उपस्थित नहीं हुए। हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी छगन लाल छाबड़ा ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2025 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी छगन लाल छाबडा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

1. दिनांक 20.02.2025 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में (परिवाद प्राप्ति रसीद संख्या 93) द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र जो कि सहायक निदेशक लोक सेवाए के पत्र संख्या 6 लोक सेवा (जनसुनवाई / 2023 / 2025 / 337) दिनांक 25.02.2025 द्वारा आपको भिजवाया गया था, आवेदन की प्रति मय दस्तावेज
2. उपरोक्त परिवाद पर जांच कर आपके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट। प्रत्युत्तर की प्रति।
3. उपरोक्त अभ्यावेदन पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही (जांच रिपोर्ट प्रत्युत्तर पर)
4. की गई कार्यवाही से प्रार्थी को सूचित करने के पत्र की प्रति।

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक अजिक / सत / आरटीआई / 2026 / 680 दिनांक 01.0[illegible]26 [illegible] अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 1[illegible] [illegible] जा चुका है और **अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** ने अपने पत्र क्रमांक क्रमांक राजस्व / सूचना का अधिकार / 2025 / 138 दिनांक 11.09.2025 से प्रार्थी / अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 98/2025
(GCMS No. 2025/409)
(RTI No. 212611938628973)
छगनलाल छाबड़ा बनाम अति. जिला कलक्टर (सतर्कता)

सूचना जो चाही गई है	**उत्तर**
दिनांक 20.02.2025 को जिला स्तरीय जनसुनवाई में (परिवाद प्राप्ति रसीद संख्या 93) द्वारा प्रार्थी के आवेदन पत्र जो कि सहायक निदेशक लोक सेवाए के पत्र संख्या 6 लोक सेवा (जनसुनवाई/2023/2025/337) दिनांक 25.02.2025 द्वारा आपको भिजवाया गया था, आवेदन की प्रति मय दस्तावेज	पत्र संलग्न है।
उपरोक्त परिवाद पर जांच कर आपके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट। प्रत्युत्तर की प्रति।	उक्तानुसार इस कार्यलय के आदेशांक अजिक/सत/2025 दिनांक 27.06.2025 द्वारा नगरपालिका सूरतगढ़ से परीक्षण हेतु अभिलेख प्राप्त कर लिया गया है। मूल अभिलेख का परीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट पश्चात अंतिम जांच रिपोर्ट तय की जा सकेगी।
उपरोक्त अभ्यावेदन पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही (जांच रिपोर्ट प्रत्युत्तर पर)	जांच प्रक्रियाधीन है।
की गई कार्यवाही से प्रार्थी को सूचित करने के पत्र की प्रति।	जांच प्रक्रियाधीन है।

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(h) में निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> **8. Exemption from disclosure of information** :-(1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen :
>
> (h) Information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(h) के तहत विचाराधीन जांच (pending inquiry) से संबंधित जानकारी देय नहीं है क्योंकि जांच गोपनीय या संवेदनशीनशील मामलों से जुड़ी होती है, जो जांच की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। **इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए अपीलार्थी की खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी [illegible] श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ [illegible] भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल [illegible]

यह आदेश आज दिनांक 10[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:22 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर